न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 76/2017 दायरा दिनांक : 22.06.2017

उनवान

1— रामचरण पुत्र गोरधननाथ, जाति नाथ, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— रामनाथी बाई बेवा गोरधन नाथ, जाति नाथ, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— प्रभू लाल पुत्र नन्द किशोर नाथ, जाति नाथ, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— मन्शा नाथ पुत्र नन्द किशोर नाथ, जाति नाथ, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3— मूलचन्द पुत्र नन्द किशोर नाथ, जाति नाथ, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

4— श्योजी पुत्र नन्द किशोर नाथ, जाति नाथ, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

5— रामभरोस पुत्र नन्द किशोर नाथ, जाति नाथ, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

6— केदार बाई पुत्री नन्द किशोर नाथ, जाति नाथ, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

7— ललावती बाई पुत्री नन्द किशोर नाथ, जाति नाथ, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

8— पन्नालाल पुत्र मोतीलाल, जाति धाकड, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

9— बिरधीलाल पुत्र मोतीलाल, जाति धाकड, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

10— लक्ष्मीनारायण पुत्र मोतीलाल, जाति धाकड, निवासी बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

11— शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा खानपुर, जिला झालावाड

12— भूमि अवाप्ति अधिकारी, परवन सिंचाई परियोजना जल संसाधन विभाग खण्ड झालावाड

13— अधिशाषी अभियन्ता, परवन सिंचाई परियोजना जल संसाधन विभाग खण्ड झालावाड

14— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रमेश राठौड अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रघुवीर राठौड अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 02.07.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या — 584/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि खतौनी संख्या नयी 72 पुरानी 16 की आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 3 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 8/150 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 9 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 10 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल 9 किता की 34 बीघा 15 बिस्वा ग्राम छीपाहेडा, तहसील खानपुर वादीगण और प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 के पिता नन्दकिशोर और प्रतिवादी नम्बर 8 लगायत 10 के शामलाती खाते में दर्ज है । इसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 का 1/3 हिस्सा और प्रतिवादी नम्बर 8 लगायत 10 का 1/3 हिस्सा है । आराजी पुश्तैनी है । खसरा नम्बर 3 और 6 गैर मुमकिन चाह है । इन दोनों का उपयोग पिछले 60 वर्षों से वादीगण बिना किसी रूकावट के करते चले आ रहे हैं । वादी नम्बर 1 केवल हस्ताक्षर करना जानता है । ग्राम सम्पर्क अभियान में वादी रामचरण ने प्रतिवादीगण से कहा कि दोनों कुए जिनसे सिंचाई होती है सभी की खातेदारी में रहेंगें । प्रतिवादीगण ने कहा कि कुओं पर सभी का अधिकार है और केम्प में बंटवारे का आदेश हुआ लेकिन प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर दोनों कुओं को अपने हिस्से में दर्ज करा लिया, जो कतई गलत है । गैर मुमकिन चाह में वादीगण और प्रतिवादीगण के अधिकार है । अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 3 और 6 में वादीगण को 1/3 हिस्से के लिए सहखातेदार दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की और दावा वादी दिनांक 30.03.2017 को खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया है प्रस्तुत साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है । खसरा नम्बर 3 और 6 गैर मुमकिन चाह है जिनसे अपीलांटगण अपने पूर्वजों के समय से सिंचाई करते चले आ रहे हैं । इनको त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक रूप से रेस्पोडेंट के खाते दर्ज किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.04.2017 को हुई । जानकारी होने पर नकल प्राप्त की और उसके उपरान्त अपीलांट बीमार हो जाने के कारण वकील साहब से सम्पर्क नहीं हो पाया । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी पहले संयुक्त खाते में थी । विभाजन होने पर त्रुटिपूर्ण, अवैधानिक रूप से चाह की आराजी रेस्पोडेंटगण के खाते में दर्ज हो गयी है जबकि उससे वादी अपीलांटगण अपने खेतों में सिंचाई करते आये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य की विवेचना किये बिना गलत रूप से दावा खारिज

किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि सन् 2007 में बंटवारा हुआ था जिसके अनुसार खाते अलग हुए हैं । अब वादी का दावा चलने योग्य नहीं है । यदि वादी इस बंटवारे से संतुष्ट नहीं है तो इसको चेलेन्ज कर सकता हैं, नया दावा लाने का उनको अधिकार नहीं है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65 एक्जीविट पी 1 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 232 का नोट अंकित है । नकल नामान्तरकरण एक्जीविट पी 2 के अनुसार आराजी का विभाजन हुआ है और खसरा नम्बर 3 रकबा 6 बिस्वा नन्दकिशोर के वारिसान के खाते में दर्ज हुई हे । खसरा नम्बर 6 रकबा 7 बिस्वा पन्ना लाल एवं अन्य के खाते में दर्ज हुई है । नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 3 के अनुसार 3 किता की 11 बीघा 12 बिस्वा आराजी प्रभू लाल एवं अन्य के खाते में दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 3 रकबा 6 बिस्वा भी शामिल है । नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 4 के अनुसार 4 किता की 11 बीघा 12 बिस्वा आराजी पन्ना लाल एवं अन्य के खाते में दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 6 रकबा 7 बिस्वा आराजी दर्ज है । नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 5 के अनुसार 4 किता की 11 बीघा 12 बिस्वा आराजी वादीगण के खाते में दर्ज है ।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो दस्तावेजात सलंग्न है, उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी एक्जीविट पी 1 के अनुसार संयुक्त खाते में दर्ज थी और यह खाता एक्जीविट पी 3, एक्जीविट 4, और एक्जीविट 5 के अनुसार अलग हो चुका है । आराजी पृथक पृथक खातेदारों के नाम विभाजन के उपरान्त दर्ज की जा चुकी है । अब इस प्रकरण में पुनः वादी के द्वारा पेश किया गया दावा मेंटेनेबल नहीं है । यदि वादी ऐसा महसूस करते हैं कि विभाजन के समय गलत रूप से चाह संख्या 3 और 6 प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज हो चुकी है तो सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र अथवा उनके अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर सकते हैं परन्तु इस हेतु नया दावा मेंटेनेबल नहीं है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा